| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/5421/2024/भरतपुर<br>अमरसिंह व अन्य बनाम महावीर सिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकलपीठ**

**श्री रामदयाल मीणा, सदस्य**

**उपस्थितः–**

श्री वैभव कृष्ण पारीक, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

**निर्णय**

**दिनांकः 07.10.2024**

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 81/2024 बउनवानी महावीर बनाम अमरसिंह में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की थी तथा मियाद के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित किए थे और न ही संबंधित व्यक्ति का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। इसके उपरांत भी अपीलीय न्यायालय ने विवादित आदेश पारित कर त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं बिना किसी कारण के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पक्ष में विवादित आदेश प्रदान करके त्रुटि कारित की है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पक्ष में कोई भी आदेश या आज्ञा पारित नहीं की जा सकती थी। अपीलीय न्यायालय में अपील पूर्णतया मियाद बाहर थी इसलिए अपीलीय न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद पर ही निर्णय पारित करना चाहिए था जो कि अपीलीय न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। अधी0न्याया0 में प्रार्थीगण ने दावा इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि विवादित भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा है तथा वादी प्रतिवादीगण की विवादित भूमि शामलाती भूमि है जिसमें वे शामिल से काश्त करते है। लेकिन विवादित भूमि का

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/5421/2024/भरतपुर<br>अमरसिंह व अन्य बनाम महावीर सिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | विभाजन नहीं हुआ है इसलिए इसका विभाजन किया जावें तथा दावे के साथ ही वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 16.12.2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। अधी0न्याया0 ने दिनांक 09.04.2024 को कुल किता 40 रकबा 7.65है0 का बेचान नहीं करने बाबत् पाबंद किया गया था तथा यह आदेश पारित किया गया था कि उभयपक्षकारान अपने हिस्से की आराजी को रहन रखने हेतु स्वतंत्र है। इस आदेश से अप्रार्थीगण को कोई भी नुकसान नहीं था इसके बावजूद भी अपीलीय न्यायालय ने इस आदेश की पालना को स्थगित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2024 को निरस्त किया जावें तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2024 को बहाल किए जाने के आदेश प्रदान करावें। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 985, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 114, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 117, आर0बी0 2019 पे 129 एवं आर0आर0डी0 2008 पेज 183 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए ।<br><br>हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया।<br><br>पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी संख्या 1/वादी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0, 1955 के तहत मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया । विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 पर उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 09.04.2024 को प्रार्थी संख्या 1/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में पेश की जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 19.07.2024 को दर्ज रजिस्टर कर निम्न अंतरिम आदेश पारित किए कि **'' वकील अपीलांट उपस्थित । अपील बाद जांच रिपोर्ट प्रस्तुत । रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अपील सब्जेक्ट टू** | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/5421/2024/भरतपुर<br>अमरसिंह व अन्य बनाम महावीर सिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **लिमिटेशन दर्ज रजिस्र की जावे । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट की बहस सुनी गयी । बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील अपीलांट के बहस तर्को को देखते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश दिये जाते है कि आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.08.2024 तक अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 09.04.2024 उनवानी अमरसिंह बनाम ओमवीर सिंह प्रकरण संख्या 194/22 की पालना व प्रभाव स्थगित किया जाता है । रेस्पो0 की तलबी बाबत् रजिस्टर्ड नोटिस नोटिस पेश होने पर तहरीर जारी की जावे । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होकर दिनांक 29.08.2024 को पेश हो।** ''<br><br>पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–04–2024 के विरूद्ध अपील दिनांक 19.07.2024 को मियाद बाहर पेश की गई थी जो दिनांक 19.07.2024 को सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई तथा जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा वर्तमान प्रार्थीगण को सुने बिना एकपक्षीय में उक्त आदेश पारित किया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है।<br><br>इस संबंध में समय–समय पर राजस्व मण्डल द्वारा कानूनी प्रावधानों की पालना करने बाबत् अधीनस्थ न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी किए गए है, जिनका विवेचन करना हम प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों के संबंध मे किया जाना न्यायोचित एवं युक्ति सम्मत् समझते है । ताकि सम्बंधित अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय के क्रम में उनकी पालना हो सकें।<br><br>(i) **''मण्डल की वृहद पीठ ने अपने न्यायिक दृष्टांत 2014 (1) आर आर टी पेज 509 बउनवानी जगदीश प्रसाद बनाम भोपालराम व अन्य में अपीलीय न्यायालयों के लिए दिशा निर्देश प्रदत्त किए है जिसके अनुसार अपीलीय न्यायालय अवधि बाहर प्रस्तुत अपील में विपक्षी पक्षकारान को सुने बगैर स्थगन प्रदस्त करने हेतु सक्षम नहीं है ।''**<br><br>(ii) **''इसी प्रकार मण्डल ने अपने परिपत्र क्रमांक** | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/5421/2024/भरतपुर<br>अमरसिंह व अन्य बनाम महावीर सिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **राम/न्याय/स्था/प.76/2022/2931–2938 दिनांक 4.8.2022 के पैरा संख्या 7 एवं 8 में यह दिशा निर्देश जारी किए गए है किः– "विचारण न्यायालय का निर्णय दूसरे पक्ष को सुने बिना अपास्त नहीं किया जावे । अपील न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पश्चात् निर्णय की क्रियान्विति स्थगित करने के समय या स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर यथासंभव दोनों पक्षों को सुनकर ही स्थगन जारी करे ।"**<br><br>अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर पेश की गई थी। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी मियाद बाहर अपील के पेश होने पर सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय करते हुए ही अपील का निस्तारण किया जाना अपेक्षित होता है । इस संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 3(अ) निम्न प्रकार है–<br><br>"3A. Application for condonation of delay-<br>(1)When an appeal is presented after the expiry of the period of limitation specified therefore, it shall be accompanied by an application supported by affidavit setting forth the facts on which the appellant relies to satisfy the Court that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.<br>(2) If the Court sees no reason to reject the application without the issue of a notice to the respondent, notice hereof shall be issued to the respondent and the matter shall be finally decided by the court before it proceeds to deal with the appeal under rule 11 or rule 13, as the case may be.<br>(3) Where an application has been made under sub-rule (1), the Court shall not make an order fact the stay of execution of the decree against which the appeal is proposed to be filed so long as the Court does not, after hearing under rule 11, decide to hear the appeal."<br><br>उक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई भी अपील प्रस्तुत करने पर | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी / टीए / 5421 / 2024 / भरतपुर<br>अमरसिंह व अन्य बनाम महावीर सिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक है कि विलम्ब होने का समुचित कारण उसके पास मौजूद है जिसका विवेचन उनके द्वारा अपनी अपील में किया गया है। इस नियम के खण्ड 3 में यह अंकित है कि जब खण्ड (1) के अधीन आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो तो तब तक डिक्री की क्रियान्विति पर स्थगन आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक न्यायालय उभयपक्षों की सुनवाई के बाद नियम 11 के अंतर्गत अपील को श्रवण हेतु ग्राह्य न कर ले । इस प्रकार अपीलीय न्यायालय को सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर उभयपक्ष को सुनकर निर्णय किया जाना आवश्यक है । इस संबंध में आर. आर.डी. 1998 पृष्ठ 349 के पैरा 10 व 11 का विवेचन समीचीन प्रतीत होता है । जो निम्नानुसार है–<br><br>"10. It is clear from sub-rule (1) of Rule 3A that at the time of presentation of appeal which is barred by limitation, appellant is required to file an application that he has sufficient cause for not filing the appeal within the period of limitation. It is incumbent upon the court to decide the application before it proceeds to decide the appeal on merits. in case the court accepts the application only then it can proceed under Rule 11 or Rule 13. If the application for condoning the delay in filing the appeal is dismissed the question of registration of appeal under Rule 9 and its consideration under Rule 11 does not arise.<br>11. As a matter of Fact Rule 3-A erects a positive bar disabling a court to pass any order in any appeal filed before it without taking care to first decide finally the question of limitation, as to whether or not the appeal is time barred. The legislature has been so particular that it has debarred the Court even from making any order for stay of execution of the decree agains which the appeal is proposed to be filed so long as the Court does not after hearing under Rule 11, decides about the consideration of appeal. It is thus obvious that the court will have to decide first as to whether the delay should be condoned or not and if the court comes to the conclusion that there were not sufficient grounds to condone the delay. The appeal shall not be treated to have been admitted." | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/5421/2024/भरतपुर<br>अमरसिंह व अन्य बनाम महावीर सिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | इस प्रकार राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित आदेश में मण्डल के द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों के निर्देशों की अनुपालना किया जाना नहीं पाया जाता है । साथ ही व्यवहार प्रक्रिया संहिता ( सीपीसी 1908) के आज्ञापक प्रावधानों आदेश 41 नियम 3–ए के प्रावधानों की पालना करना भी प्रकट नहीं होता है।<br><br>राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा मण्डल के समक्ष निगरानी पेश की गई है जो भी यद्यपि विधिनुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से संधारण योग्य नहीं है तथा ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज होने योग्य है।<br>**इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल के परिपत्र क्रमांक राम/न्याय/स्था/प–76/2024/4638 दिनांक 27.09.2024 में उल्लेखित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच ने SBCWP No 8514/2024 बुन्दु बनाम शकूर के मामलें में आदेश दिनांक 10.09.2024 संप्रेक्षण किया है जिसमें यह मत अभिनिधारित किया गया है कि– " It has consistently come to notice that the Board of Revenue has been entertaining revision petitions under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 against the interim orders at the same time passing orders holding that revision is not maintainable against the interim orders. Considering that this issue is arising in number of cases. The matters are being listed on 01.10.2024. In the meantime, the Advoctae General Office shall furnish the details with regard to number of cases where the revision has been held to be non-maintainable as to ehether the Chairman of the Board would apprise the decision of this Court holding that against interim orders revision is not maintanale.**''<br><br>इसी प्रकार **राजस्व मण्डल के परिपत्र क्रमांक राम/न्याय/स्था/प–76/2024/4638 दिनांक 27.09.2024 में उल्लेखित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा SBCWP No 8514/2024 बुन्दु बनाम शकूर के मामलें में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 संप्रेक्षण किया है जिसमें यह मत** | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी / टीए / 5421 / 2024 / भरतपुर<br>अमरसिंह व अन्य बनाम महावीर सिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **अभिनिधारित किया गया है कि अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है । जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में उल्लेखित किया है– " It has consistently come to notice that the Board of Revenue has been entertaining revision petitions under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 and the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 against the interim orders at the same time passing orders holding that revision is not maintainable against the interim orders. Considering that this issue is arising in number of cases. The matters are being listed on 01.10.2024. In the meantime, the Advocate General Office shall furnish the details with regard to number of cases where the revision has been held to be non-maintainable. Further as to whether the Chairman of the Board would apprise the decision of this Court holding that against interim orders revision is not maintanale.**''<br><br>चूंकि प्रकरण में अभी अंतिम विनिश्चयन होना शेष है। अतः पक्षकारान को समयबद्ध रूप से न्याय की उपलब्धता हो तथा कानूनी प्रावधानों के अनुसरण में तत्परता से प्रकरण की सुनवायी हो इस दृष्टि से हम अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना उचित समझते है । जैसा कि आदेश 39 नियम 3–ए जाब्ता दीवानी में यह प्रावधित किया गया है कि–" **जहां कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सुने बिना दिया गया है वहां न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया था, तीस दिवस के अन्दर निपटाने का प्रयास करेगा और जंहा वह ऐसा करने में असमर्थ है वहां वह ऐसी असमर्थता के लिये कारण अभिलिखित करेगा।**" ऐसी स्थिति में विपक्षीगण से जबाब प्रार्थना पत्र लेकर उभय पक्ष को सुनकर सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के उपरांत प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित करना न्यायोचित होगा।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश किये जाने से ग्राह्यता के स्तर पर खारिज की जाती है । चूंकि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी / टीए / 5421 / 2024 / भरतपुर<br>अमरसिंह व अन्य बनाम महावीर सिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | द्वारा आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । **अतः धारा 221 राज0काश्त0अधि0 1955 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.07.2024 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है वे सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 पर उभयपक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करे तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 का एक माह में विधिनुसार अपील मीमों में चाहे गये अनुतोष के अनुसरण में आदेश पारित करते हुए निस्तारण करना सुनिश्चित करावें । साथ ही राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में मण्डल के उपरोक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों एवं जाप्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करावें।**<br><br>पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे और बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।<br>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।<br><br>**(रामदयाल मीणा )**<br>**सदस्य** | |